पत्रांकः-भ0/स्था0-04-विविध-39/2024.................2157(भ) 3/5

# बिहार सरकार
## भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

**अवधेश नंदन सिन्हा,**
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

**सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),**
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक- 05/3/26

**विषयः-** वित्त विभाग के संकल्प सं0-3590/वि. दिनांक-24.05.2017 के आधार पर लेखा लिपिक के पद को मरणशील मानते हुए प्रतिवेदित करने के संबंध में।

**प्रसंगः-** विभागीय पत्रांक-भवन/स्था0-04/विविध-39/2024-4666(भ), दिनांक-26.05.25 एवं वित्त विभाग, बिहार का पत्रांक-1827/वि., दिनांक-19.02.26.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3590/वि., दिनांक-24.05.2017 में यथाप्रावधानित दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से लेखा लिपिक के पद को मरणशील घोषित करने एवं उक्त पदों पर कोई नयी नियुक्ति नहीं किए जाने के दृष्टिगत जिन कार्यालयों में लेखा लिपिक कार्यरत हैं उनको उच्चवर्गीय लिपिक या निम्नवर्गीय लिपिक के स्वीकृत पदों में समाहित करते हुए प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार के प्रासंगिक पत्रांक-1827/वि., दिनांक-19.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में लेखा लिपिकों के मामले में स्पष्ट मार्गनिर्देश देते हुए अपेक्षित कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

वर्णित स्थिति में वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-1827/वि., दिनांक-19.02.2026 के आलोक में विभागीय पत्रांक-4666(भ), दिनांक-26.05.2026 द्वारा लेखा लिपिकों के मामले में निर्गत निदेश को निम्नवत् संशोधित करते हुए तदनुसार अनुपालन की अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश दिया जाता हैः-

**"लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग है तथा उक्त पद पर नयी नियुक्ति नहीं की जानी है। राज्य सरकार द्वारा लेखा लिपिक के मात्र रिक्त पदों को लिपिक संवर्ग में स्थानांतरण का आदेश है। स्पष्टतः लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत बल को स्थानांतरित/विलय करने का निर्णय नहीं है। वस्तुतः लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मी की सेवानिवृत्ति/अन्य विधि से पद रिक्त होने पर ही उसे लिपिक संवर्ग में स्थानांतरित किया जाना है न कि कार्यरत बल को।"**

कृ0पृ0उ0............

अतः निदेशानुसार अनुरोध हैं कि उपर्युक्त निदेशों का कृपया दृढ़ता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

अ॰सिन्हा 05.03.26.

(अवधेश नन्दन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–3ए–9–वे०पु०–09/2016–........1827......../वि०

**बिहार सरकार**

वित्त विभाग।

प्रेषक,

**शैलेश कुमार भूषण,**
सरकार के उप सचिव।

**सेवा में,**

**सचिव,**
पथ निर्माण विभग/भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19-02-2026

**विषय :–** **राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590/वि०, दिनांक–24.05.2017 के आलोक में लेखा लिपिक संवर्ग के रिक्त पद को लिपिकीय संवर्ग में शामिल करने के संबंध में।**

**प्रसंग :–** **भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–4666/भ०, दिनांक–26/05/2025 एवं पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–5034, दिनांक–30.05.2025**

**महाशय,**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590, दिनांक–24.05.2017 के आलोक में जिन कार्यालयों में लेखा लिपिक कार्यरत है, उनको उच्चवर्गीय लिपिक या निम्नवर्गीय लिपिक के पदों में समाहित करते हुए प्रतिवेदित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2. राज्य वेतन आयोग द्वारा लेखा लिपिकों एवं लिपिकों के संदर्भ में निम्न अनुशंसा की गई है :–

(1). All posts having clerical functions, with the sole exception of Accounts Clerks, whatsoever names they might now be known as, now be called posts of the Clerical cadre. Thus, there shall be no separate post names like those of Storekeeper, Correspondence Clerks, Moharrirs etc. All such posts having the Grade Pay of Rs 1900/- or Grade Pay of Rs 2400/- shall be transferred to the pool of posts of LDCs and UDCs.

(2). The Accounts Cadres be declared a dying cadre. Thus, no new recruitment shall be made against these posts. All unfilled posts of this cadre will stand transferred to the Clerical cadre with the adoption of these recommendations. Further, as soon as any post falls vacant due to death/ resignation/ retirement etc., it will stand transferred to the common Clerical cadre. The posts of Junior Accounts Clerk and Senior Accounts Clerk shall be treated as transferred to the pool of posts of LDCs and UDCs while the posts of Divisional Accountant shall stand transferred to the level of Head Clerk.

3. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभिन्न पदनाम यथा लेखा लिपिक, भंडारपाल, पत्राचार लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक का अलग–अलग संवर्ग नहीं होगा, अपितु ये सभी सामान्य लिपिक संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक/उच्चवर्गीय लिपिक के नाम से जाने जायेगें। लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग होगा तथा इस पर नयी नियुक्ति नहीं की

L.Fol./17.02.2026/Dilip Kr. Nayeem

अपन (276)

(6)

जायेगी। आयोग द्वारा लेखा लिपिक के मात्र रिक्त पदों को लिपिक संवर्ग में स्थानान्तरण किये जाने की अनुशंसा की गई है। स्पष्टतः लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत बल को स्थानान्तरित/विलय करने की अनुशंसा नहीं है। लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मी के सेवानिवृति/अन्य विधि से रिक्त हुए पद लिपिक संवर्ग में स्थानान्तरित किये जाने हैं।

4. अतः अनुरोध है कि राज्य वेतन आयोग की उक्त अनुशंसा के आलोक में लेखा लिपिक के रिक्त पदों को लिपिक संवर्ग में स्थानान्तरित/विलय करने संबंधी प्रासंगिक पत्र में उक्त परिमार्जन करने की कारवाई की जाय।

विश्वासभाजन

शैलेश
19/02/26

**(शैलेश कुमार भूषण)**
सरकार के उप सचिव।

L.Fol./17.02.2026/Dilip Kr.

Nayeem